# uxj ifj'kn /keZ'kkyk] ftyk dkaxMk fgekpy izns'k dk orZeku vads{k.k ,o

## fufj{k.k izfrosnu

## vof/k 4@2007 ls 3@2010

1 ¼i½ **ifjLFkkiuk** %&

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्यकारी अधिकारी एवं नगर परिङ्कद अध्यक्ष कार्यरत रहे है।

| ¼d½ | v/;{k dk uke | dk;Zdky vof/k |
|---|---|---|
| | श्री रणधीर शेखड़ी | 1.4.2007 से 31.3.10 |

| ¼[k½ | dk;Zdkjh vf/kdkjh dk uke | dk;Zdky vof/k |
|---|---|---|
| | श्री एम0 डी0 शर्मा | 1.4.2007 से 19.4.07 |
| | श्री आर0 एस0 वर्मा | 19.4.2007 से लगातार |

¼ii½ **xr vads{k.k izfrosnu** %&

नगर परिङ्कद धर्मषाला जिला कांगड़ा के लेखाओं से सम्बन्धित विभिन्न निर्णीत एवं अनिर्णीत पैरों की स्थिति संलग्न परिषिष्ट संख्या – ^ पर दषाई गई है। नगर परिङ्कर धर्मषाला द्वारा गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के संटिप्पण उत्तर अभी तक भी इस विभाग को प्रेङ्कित नही किए गए हैं जोकि एक गम्भीर मामला है। अतः अनिर्णीत पैरों के बारे में प्राधिकारीयों को परामर्ष दिया जाता है कि व इनके निपटारे हेतु आवष्यक पग उठाऐं तथा अपेक्षित कार्यवाही के उपरान्त अनिर्णीत पैरों के संटिप्पण उत्तर इस निदेषालय को प्रेङ्कित किए जाने सुनिष्चित किए जाऐं।

## Hkkx & nks

2 **orZeku vads{k.k** %&

नगर परिङ्कद धर्मषाला जिला कांगड़ा हि0 प्र0 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण अवधि 4/2007 से 3/2010 श्री विजय कुमार वालिया, अनुभाग अधिकारी एवं श्री भवनीष पुरी, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 12.7.2010 से 24.8.2010 तक के दौरान धर्मषाला में किया गया है। लेखों की जांच हेतु माह 3/2008, 3/2009, तथा 3/2010 आय के लिए

तथा माह 3/2008, 12/2008 और 9/2009 का चयन व्यय की जाँच के लिए किया। अंकेक्षण के दौरान पाई गई आपतियों को अनुवर्ती पैरों में दर्षाया गया है।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति को नगर परिड्ढद के कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रस्तुत नही की गई की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक सीमित है।

## 3 y[kk ijh{kk 'kYd %&

नगर परिड्ढद धर्मषाला के लेखाओं (अवधि 4/2007 से 3/2010 तक) का लेखा परीक्षा शुल्क ् 38900/– बनता है, जिसे रेखांकित बैंक ड्ाफ्ट के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0 प्र0 षिमला – 9 को भेजने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108 दिनांक 24.8.2010 द्वारा अनुरोध किया गया है।

## 4- foRrh; fLFkfr %&

¼i½ नगर परिड्ढद धर्मषाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) द्वारा प्रस्तुत लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार से है :–

### ¼d½ uxj ifjÔn fuf/k %&

| | |
|---|---|
| **oÔ 2007 & 08** | |
| अथषेड्ढ | 5209833.42 |
| पावतियां | 23508075.00 |
| ब्याज | 136559.00 |
| **dy ;kx** | **28854467-42** |
| व्यय | 23433872.00 |
| अन्तषेड्ढ | 5420595.42 |
| **oÔ 2008 & 09** | |
| अथषेड्ढ | 5420595.42 |
| पावतियां | 25461612.00 |
| ब्याज | 28344.00 |
| **dy ;kx** | **30910551-42** |
| व्यय | 26750712.40 |

| | |
|---|---|
| अन्तषेड्ढ | 4159839.02 |

## oÔ 2009 & 10

| | |
|---|---|
| अथषेड्ढ | 4159839.02 |
| पावतियां | 26207222.00 |
| ब्याज | 43810.00 |
| d|y ;kx | 30410871-02 |
| व्यय | 24597082.00 |
| अन्तषेड्ढ | 5813789.02 |

c|d lek/kku fooj.kh %&

दिनांक 31.03.10 को रोकड़ बही अनुसार अन्तषेष 5813789-02

tek %&

चैक जो दिनांक 31.3.10 से पहले जारी किये गये लेकिन बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नही हुए।

| d0 l0 | pd l[;k | fnukd | jkf'k | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 598450 | 12.6.03 | 3650.00 | |
| 2. | 579669 | 02.11.04 | 2082.00 | |
| 3. | 574670 | 02.11.04 | 5000.00 | |
| 4. | 769180 | 20.5.06 | 3960.00 | |
| 5. | 159776 | 15.11.06 | 500.00 | |
| 6. | 245651 | 05.3.07 | 4000.00 | |
| 7. | दिनांक 31.307 को रोकड़ बही अनुसार चैक बैंक में प्रस्तुत नही हुऐ। | | 22076.00 | |
| 8. | 316940 | 03.2.2010 | 9076.00 | |
| 9. | 316946 | 03.2.2010 | 255.00 | |
| 10. | 316955 | 03.2.2010 | 176.00 | |
| 11. | 316956 | 03.2.2010 | 660.00 | |
| 12. | 316957 | 03.2.2010 | 540.00 | |
| 13. | 316969 | 03.2.2010 | 4434.00 | |
| 14. | 316971 | 03.2.2010 | 21539.00 | |
| 15. | 316973 | 03.2.2010 | 5000.00 | ¼$½ 82948-00 |

| | |
|---|---|
| आई0 डी0 एस0 एम0 टी0 निधि से सम्बन्धित प्राप्तियां जोकि नगर परिङ्कद निधि के बैंक खातें में जमा करवाई गई। | ¼$½ 90854-00 |
| नगर परिङ्कद निधि से सम्बन्धित भुगतान जोकि आई0डी0एस0एम0टी0 निधि के बैंक खातें से निकाले गये। | ¼$½ 14168-00 |

ekbul %&

| | |
|---|---|
| नगर परिङ्कद निधि से सम्बन्धित आय जिसका कैडिट बैंक द्वारा दिनांक 31.03.10 तक नही दिया गया। | ¼&½ 530893-00 |
| आई0 डी0 एस0 टी0 निधि से सम्बन्धित भुगतान जोकि नगर परिङ्कद निधि के बैंक खाते से निकाले गये। | ¼&½ 8446-00 |
| नगर परिषद निधि से सम्बन्धित प्राप्तियां जोकि आई0डी0एस0एम0टी0 निधि के बैंक खाते मे जमा करवाई गई। | ¼&½ 21408-00 |
| नगर परिषद निधि से सम्बन्धित प्राप्तियां जोकि सहायक अनुदान निधि के बैंक खातें में जमा करवाई गई। | ¼&½ 51000-00 |
| पिछला अन्तर | ¼&½ 1159010-72 |
| कम जमा राषि | ¼&½ 57825-00 |
| fnukd 31-03-10 dk cd vulkj 'kÔ jkf'k | 4173176-30 |

fnukd 31-03-10 dk cd tek dk fooj.k %&

| | |
|---|---|
| दिनांक 31.03.10 को पी0 एन0 की धर्मषाला के खाता संख्या 3337000100035036 में जमा राषि | 4008057-30 |
| दिनांक 31.03.10 को पी0 एन0 बी0 मकलोड़गंज के खाता संख्या 2517000101003677 में जमा राषि | 165119-00 |
| dy ;kx | 4173176-30 |

¼[k½ lgk;d vunku fuf/k %&

| | 2007 & 08 | 2008 & 09 | 2009 & 10 |
|---|---|---|---|
| अथषेड्ढ | 24271724.12 | 23597804.19 | 36356911.19 |
| पावतियां | 20748097.00 | 45240774.00 | 27549383.00 |
| ब्याज | 586123.07 | 1517930.00 | 2780284.00 |
| dqy ;ksx | 45605944-19 | 70356508-19 | 66686578-19 |
| व्यय | 22008140.00 | 33999597.00 | 34598336.00 |
| अन्तषेड्ढ | 23597804.19 | 36356911.19 | 32088242.19 |

## cSad lek/kku fooj.kh %&

दिनांक 31.3.10 को रोकड़ बही अनुसार अन्तषेड्ढ — 32088242-19

tek %&

चैक जो जारी किये गये परन्तु दिनांक 31.3.10 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नही किये गये

| d0l0 | pSd l0 | ekg | jkf'k | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 534747 | 09/07 | 151222.00 | |
| 2. | 878743 | 03/10 | 69249.00 | ¼$½ 220471-00 |

| | |
|---|---|
| नगर परिषद निधि से सम्बन्धित प्राप्तियां जोकि सहायक अनुदान निधि के बैंक खातें में जमा करवाई गई। | ¼$½ 51000-00 |
| कम जमा राषि | ¼&½ 2000-00 |
| गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/07 में सहायक अनुदान निधि से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरण में दिया गया अन्तर (24271724.12 – 22178327.51) | ¼&½ 2093396-61 |
| दिनांक 31.03.10 को बैंक अनुसार जमा राषि | 30264316-58 |

## fnukad 31-03-10 dks cSad tek dk fooj.k %&

| d0l0 | cSd dk uke | [kkrk l[;k | jkf'k |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | के0 सी0 सी0 बैंक, धर्मषाला | 2005986 | 5091551.00 |
| 2. | पी0 एन0 बी0, धर्मषाला | 0136000100140408 | 3391831.22 |
| 3. | पी0 एन0 बी0, मकलोड़गंज | 2517000101007327 | 1136587.00 |
| 4. | आई0 सी0 आई0 सी0 आई0 बैंक, धर्मषाला | 050005000133 | 524700.00 |
| 5. | के0 सी0 सी0 बैंक, दाड़ी | 2000308 | 218012.00 |
| 6. | पी0 एन0 बी0, धर्मषाला | 100845 | 8616.00 |
| 7. | के0 सी0 सी0 बैंक, धर्मषाला | 323 | 6476.00 |
| 8. | बैंक ऑफ इंडिया, धर्मषाला | 5889 | 4837.36 |
| 9. | टे्जरी आफिस खाता में जमा | | 4602.00 |
| | | ;kx | 10387212-58 |

lkof/kd tek e fuo'k %&

| fooj.k %& | lkof/k tek l0@fnukad | jkf'k | |
|---|---|---|---|
| | 0884199 / 06.12.2007 | 5185700 | |
| | 288975 / 16.04.2007 | 300000 | |
| | 650921 / 06.10.2009 | 1050000 | |
| | 282543 / 23.01.2010 | 4365000 | |
| | 009482 / 04.09.2008 | 1725000 | |
| | 009481 / 04.09.2008 | 1200000 | |
| | 10293021000259 / 12.06.2009 | 1051404 | |
| | 098412 / 02.02.2009 | 5000000 | |
| | | ;kx | 19877104-00 |
| | | Dqy ;kx | 3]62]64]316-58 |

¼x½ vkbZ0Mh0,l0,e0Vh0fjokfYoax QaM %&

| oÔ 2007 & 08 | |
|---|---|
| अथषेड्ड | 158506.70 |
| पावतियां | 736713.00 |

| | |
|---|---|
| ब्याज | 5781.00 |
| d|y ;kx | 901000-70 |
| व्यय | 733161.00 |
| अन्तषेड्ढ | 167839.70 |

oÔ 2008 & 09

| | |
|---|---|
| अथषेड्ढ | 167839.70 |
| पावतियां | 1076847.00 |
| ब्याज | 14931.00 |
| d|y ;kx | 1259617-00 |
| व्यय | 480406.00 |
| अन्तषेड्ढ | 779211.70 |

oÔ 2009 & 10

| | |
|---|---|
| अथषेड्ढ | 779211.70 |
| पावतियां | 1097115.00 |
| ब्याज | 17773.00 |
| d|y ;kx | 1894099-70 |
| व्यय | 1328620.00 |
| अन्तषेड्ढ | 565479.70 |

cid lek/kku fooj.kh %&

दिनांक 31.3.10 को रोकड़ बही अनुसार अन्तषेड्ढ 565479-70

tek %&

चैक जो दिनांक 31.3.10 से पहले जारी किये गये लेकिन बैंक में प्रस्तुत नही हुए।

| d0l0 | pid l[;k | fnukd | jkf'k | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 571987 | 10.1.05 | 12000.00 | |
| 2. | 571988 | 10.1.05 | 2000.00 | |
| 3. | 254959 | 19.09.08 | 4500.00 | ¼$½ 18500-00 |

| | |
|---|---|
| आई0 डी0 एस0 एम0 टी0 निधि से सम्बन्धित भुगतान जोकि नगर परिङ्घद निधि के बैंक खातें से निकाले गए। | ¼$½ 8446-00 |
| नगर परिङ्घद निधि से सम्बन्धित प्राप्तियां जोकि आई0डी0एस0एम0टी0 निधि के बैंक खातें में जमा करवाई। | ¼$½ 21408-00 |

ekbZuI %&

| | |
|---|---|
| माह मार्च 2010 में एकत्रित आय जिसका कैडिट बैंक द्वारा मार्च 2010 के पष्चात दिया गया हैं। | ¼&½ 1110-00 |
| आई0 डी0 एस0 टी0 निधि से सम्बन्धित प्राप्तियां जोकि नगर परिङ्घद निधि के बैंक खाते में जमा करवाई। | ¼&½ 90854-00 |
| नगर परिङ्घद निधि से सम्बन्धित भुगतान जोकि आई0डी0एस0एम0टी0 निधि के बैंक खाते से निकाले गये। | ¼&½ 14168-00 |
| कम जमा राषि | ¼&½ 1941-00 |
| दिनांक 31.03.2010 को बैंक अनुसार शेङ्घ राषि | 505760-70 |

(पी0एन0बी0 धर्मषाला के खाता संख्याः 3373000/00050026 में दिनांक 31.02.11 को जमा ¿5,05,760.70)

¼?k½ ,l0 t0 ,l0 vkj0 okbZ0 fuf/k %&

| | 2007 & 08 | 2008 & 09 | 2009 & 10 |
|---|---|---|---|
| अथषेङ्घ | 365736.00 | 244163.00 | 303883.00 |
| पावतियां | – | 163043.00 | – |
| ब्याज | – | – | – |
| dqy ;kx | 365736-00 | 407206-00 | 303883-00 |
| व्यय | 121573.00 | 103323.00 | 70500.00 |
| अन्तषेङ्घ | 244163.00 | 303883.00 | 233383.00 |

vUr'kÔ dk fooj.k %&

| | |
|---|---|
| (दिनांक 31.03.10 पी0 एन0 बी0 धर्मषाला के खाता संख्याः 3373002100007709 में जमा राषि) | 233383-00 |

¼ii½ foÙkh; fLFkfr esa ikbZ xbZ vfu;ferrk,sa dk C;kSjk %&

नगर परिषद धर्मषाला की अवधि 4/07 से 3/10 तक की वित्तीय स्थिति में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :–

¼d½ नगर परिषद की वित्तीय स्थिति में निम्नलिखित राशियां दिनांक 31.03.10 को बैंक में जमा की गई दर्षाई गई हैं :–

| Ø0 l0 | fuf/k dk uke | | fnukd 31-03-10 dk cd e: tek dh n'kkb xb jkf'k ¼½ |
|---|---|---|---|
| 1 | नगर परिषद निधि | | 41,73,176.30 |
| 2 | सहायक अनुदान निधि :– | | |
| | बचत खाता :– | 1,03,87,212.58 | |
| | सावधि जमा में निवेश :– | 1,98,77,104.00 | 3,02,64,316.58 |
| 3 | आई0डी0एस0एम0टी रिवालविंग फण्ड | | 5,05,760.70 |
| 4 | एस0जे0एस0आर0वाई निधि | | 2,33,383.00 |

उक्त अन्तषेष के रूप में दर्षाई गई राशियों में से मात्र सहायक अनुदान निधि से सम्बन्धित सावधि जमा में निवेषित ¸1,98,77,104.00 का प्रमाण पत्र नगर परिषद द्वारा जारी किया गया जो कि अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है तथा शेष राशियों का न तो नगर परिषद और न ही सम्बन्धित बैंकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र द्वारा अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया गया है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि उक्त वांछित प्रमाण पत्र यथाशीघ्र इस विभाग को भेजना सुनिष्चित करें।

¼[k½ नगर परिषद निधि की बैंक समाधान विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद निधि की आय से सम्बन्धित ¸5,30,893.00 का क्रैडिट बैंक द्वारा दिनांक 31.03.10 तक नहीं दिया गया दर्षाया गया है परन्तु न तो उक्त ¸5,30,893.00 का पूर्ण विवरण समाधान विवरणिका में दिया गया है तथा न ही यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त राशि दिनांक 31.03.10 के पष्चात बैंक द्वारा कब क्रैडिट की गई है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि उक्त राशि का पूर्ण विवरण देने के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाए की उक्त राशि कब–कब बैंक द्वारा क्रैडिट की गई।

¼x½ नगर परिषद निधि की बैंक समाधान विवरणी में पूर्व अन्तर ¸11,59,010.72 दर्षाया गया है जबकि गत अंकेक्षण के अनुसार इस निधि में पूर्व अन्तर मात्र ¸2,15,994.28 दर्षाया गया था। अतः पूर्व अन्तर ¸2,15,994.28 के स्थान पर ¸11,59,010.72 दर्षाने का कारण स्पष्ट करने के अतिरिक्त सही अन्तर दर्षाकर बैंक समाधान विवरणिका का तदानुसार मिलान किया जाए।

¼?k½ नगर परिषद निधि की बैंक समाधान विवरणी में दिनांक 31.03.10 को ¸57,825.00 कम जमा की गई दर्षाई गई है परन्तु उक्त राशि का पूर्ण विवरण कि यह राशि नगर परिषद द्वारा कब–कब कम जमा करवाई गई है नहीं दिया गया जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अब करके वस्तुस्थिति से मुख्यालय को अवगत करवाया जाए।

¼3½ आई0डी0एस0एम0टी0 रिवालिंग फण्ड में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 31.03.07 को निम्नविवरणानुसार अन्तषेष ¸1,73,895.07 दर्षाया गया था।

| vkbZ0Mh0,e0,l0Vh0 fjokyfoax Q.M [kkrk la[;k | fnukad 31-03-09 dk vUr'k"k ¼½ |
|---|---|
| पी0एन0बी0 खाता संख्याः 50026 | 1,71,636.70 |
| पी0एन0बी0 खाता संख्याः 22823 | 2,258.37 |
| | 1]73]895-07 |

परन्तु उपरोक्त अन्तषेष के स्थान पर वर्तमान अंकेक्षण में उक्त निधि का दिनांक 01. 04.2007 को प्रारम्भिक शेष ¸1,58,506.07 लिया गया है, जिसके कारण स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में आवष्यक छानबीन करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

¼p½ इसके अतिरिक्त विभिन्न निधियों की बैंक समाधान विवरणीका के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद निधि, आई0डी0एस0एम0टी0 निधि तथा सहायक अनुदान निधि की कई राशियाँ एक दूसरे की निधि मे जमा करवाई गई अथवा निकाली गई परन्तु इन राशियों का विस्तृत ब्यौरा अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ संलग्न बैंक समाधान विवरणीका में नहीं दिया गया है और न ही यह बताया गया है कि क्या संस्था द्वारा उक्त राशियों का समायोजन अंकेक्षण अवधि के पष्चात कर लिया गया है अथवा नहीं। अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

5 <u>uxj ifjÔn fuf/k dk cSad [kkrs ls fudkyh xbZ jkf'k ` 50000@& ckjA</u>

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 07.02.2008 को नगर परिङ्घद निधि के बैंक खाते से च्तें तउ भ्वसकपंदह को चैक संख्या 767438 द्वारा ¸ 50000/– का भुगतान किया गया परन्तु नगर परिङ्घद निधि की सबंधित रोकड़ बही में उपरोक्त फर्म के सन्दर्भ में कोई भी भुगतान/खर्चा नही दर्षाया गया है। अंकेक्षण के दौरान जब यह मामला प्रषासन के समक्ष उठाया गया तो उन्होंने बैंक से पड़ताल करने उपरान्त ¸ 50000/– को दिनांक 30.7.10 को नगर परिङ्घद निधि के बैंक खातें में जमा करवाया। यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। इस सन्दर्भ में आवष्यक छानबीन करके वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा यह स्पष्ट किया जाए कि उक्त फर्म को दिनांक 7.2.08 को बैंक संख्या 767438 द्वारा भुगतान करने का क्या औचित्य था तथा साथ में यह परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में रोकड़ बही से सम्बन्धित शेङ्घ का समय–समय पर बैंक खाते से मिलान किया जाये।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त निकाली गई ¸ 50000/– पर दिनांक 7.2.2008 से 30.7. 2010 तक ब्याज के रुप में जो हानि हुई है उसकी वसूली चूककर्ता से करके सम्बन्धित खाते

में जमा करवाना सुनिष्चित किया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

6- <u>vkbZ0 Mh0 ,l0 ,e0 Vh0 QaM esa fofHkUu L=ksrksa ls izkIr vk; dh ` 1941@& dks cSad esa tek u djokus tkuk %&</u>

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि निम्नविवरणानुसार आई0 डी0 एस0 एम0 टी0 फंड में विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त आय की ₹ 1941/– को उक्त निधि के बैंक खाते में जमा नही करवाया गया।

| d0 l0 | fnukd | jlhn l[;k | okLrfod jkf'k | tek dh xbZ jkf'k | de tek jkf'k |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.03.08 | 133/66 | 180.00 | 160.00 | 20.00 |
| 2. | 21.04.08 | – | 915.00 | 575.00 | 340.00 |
| 3. | 09.06.08 | – | 860.00 | 840.00 | 20.00 |
| 4. | 11.06.08 | – | 260.00 | 240.00 | 20.00 |
| 5. | 05.07.08<br>06.07.08 | – | 2220.00 | 2055.00 | 165.00 |
| 6. | 27.04.09 | 6/74 व 5/91 | 345.00 | 305.00 | 40.00 |
| 7. | 28.05.09 | – | 375.00 | 370.00 | 5.00 |
| 8. | 17.06.09 | 12/26 व 10/43 | 245.00 | 185.00 | 60.00 |
| 9. | 29.06.09 | – | 32395.00 | 32349.00 | 46.00 |
| 10. | 11.07.09 | 12/50 व 10/67 | 330.00 | – | 330.00 |
| 11. | 11.07.09 | 12/51 व 10/68 | 465.00 | – | 465.00 |
| 12. | 30.11.09 | 17/92 व 20/08 | 400.00 | – | 400.00 |
| 13. | 3/2010 | – | 30.00 | – | 30.00 |
| | | | | dqy ;ksx | 1941-00 |

अंकेक्षण द्वारा आपति उठाने पर उपरोक्त ₹ 1941/– को चूककर्ता से वसूल करके दिनांक 24.8.10 को रसीद संख्या 15/133 द्वारा सम्बन्धित निधि मे जमा करवाया गया, जिसकी पुष्टि कर ली गई है। अतः यह परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की चूक न की जाये।

7- lgk;d vuqnku fuf/k e ikIr vk; dh ' 2000@& dk cd e tek u djoku ckj %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 07.02.08 को रसीद संख्या 272/36 द्वारा ठेकेदार सरदूल सिंह से प्राप्त ₹ 2000/— को सहायक अनुदान निधि से सम्बन्धित बैंक खाते में जमा नही करवाया गया जोकि एक अत्यन्त गम्भीर अनयमितता है। अतः उपरोक्त राषि को सम्बन्धित निधि में जमा न करवाने का कारण स्पष्ट करते हुऐ अबिलम्ब इसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी अधिकारी से की जानी सुनिष्चित की जाये तथा इस राषि को उक्त निधि में जमा करवाया जाना सुनिष्चित किया जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

8- ¼d½ uxj ifjÔn fuf/k e fdjk; d #i e ikIr vk; dh ' 5000@& dk cd e tek u djoku ckj %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 25.10.08 को चैक संख्या 114209 द्वारा किराये के रुप में प्राप्त ₹ 5000/— को नगर परिड्ढद निधि से सम्बन्धित बैंक खातें में जमा नही करवाया गया जोकि एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। अतः उपरोक्त राषि को सम्बन्धित निधि में जमा न करवाने का कारण स्पष्ट करतें हुए अविलम्ब इसकी वसूली चूककर्ता से करके नगर परिड्ढद निधि मे जमा करवाना सुनिष्चित किया जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

¼[k½ lkof/k tek d vUrxr fuosf'kr jkf'k ij vftr C;kt dh ' 729@& dk cd [kkr e tek djoku ckj %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 24.1.06 को पी0 एन0 बी0 बैंक सावधि जमा खाता संख्या 704820 के अर्न्तगत ₹ 1000000/— निवेषित किये गये जिसकी दिनांक 10.05.07 को परिपक्वता ₹ 1078707/— दर्षाई गई हैं परन्तु दिनांक 12.06.07 को सहायक अनुदान निधि में उपरोक्त निवेषित राषि के अधीन केवल ₹ 1077978/— जमा करवाये गये, तथा इस प्रकार ₹ 729/— ब्याज के रुप में खाते में कम जमा करवाई गई जाकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः उपरोक्त ब्याज की ₹ 729/— को खाते में जमा न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इसकी वसूली चूककर्ता से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

9- ¼d½ uxj ifjÔn fuf/k e fofHkUu L=krk l ikIr vk; dh ' 2060@& dk tek u djoku ckj %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय की ₹ 2060/— को नगर परिड्ढद निधि में जमा नही करवाया गया जोकि एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है।

| d0 l0 | fnukad | jlhn la[;k | ,df=r jkf'k | tek u djokbZ xbZ jkf'k |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.05.08 | 396/28 | 610.00 | 610.00 |
| 2. | 07.05.08 | 396/30 | 500.00 | 500.00 |
| 3. | 22.10.08 | 425/14 | 250.00 | 250.00 |
| 4. | 20.12.08 | 401/23–27 | 200.00 | 200.00 |
| 5. | 02.01.10 | 38/18 | 500.00 | 500.00 |
| | | | dqy ;ksx | 2060-00 |

जब यह मामला प्रषासन के ध्यान में लाया गया तो चूककर्ता से ₹ 2060/– की वसूली करके दिनांक 24.8.10 को रसीद संख्या 07/27 द्वारा नगर परिड्ढद निधि मे जमा करवा दिये गये, जिसकी जांच कर ली गई है। अतः यह परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की चूक न की जाये।

¼[k½ uxj ifjÔn fuf/k esa fofHkUu L=ksrksa ls izkIr vk; dh ` 765@& dks tek u djokus ckjs ½&

सामान्य रोकड़ बही के अवलोकन पर निम्नविवरणानुसार विभिन्न प्रकार की आय की प्राप्तियों को नगर परिड्ढद निधि में कम जमा करवाया गया पाया गया जोकि एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है।

| d0 l0 | fnukad | jlhn la[;k | okLrfod jkf'k | tek dh xbZ jkf'k | de tek jkf'k |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.11.07 | 124/71, 128/82, 129/67, 130/20 | 3831.00 | 3276.00 | 555.00 |
| 2. | 25.07.09 | रोकड़ बही पेज सं0 19 अनुसार | 4130843.00 | 4130743.00 | 100.00 |
| 3. | 06.01.09 | रोकड़ बही अनुसार | 5660.00 | 5600.00 | 60.00 |
| 4. | 05.06.09 | रोकड़ बही अनुसार | 50.00 | – | 50.00 |
| | | | | dqy ;ksx | 765-00 |

जब यह मामला प्रषासन के ध्यान में लाया गया तो चूककर्ता से ₹ 765/– की वसूली करके दिनांक 24.8.10 को रसीद संख्या 16/133 द्वारा नगर परिड्ढद निधि मे जमा करवा दिये

गये, जिसकी जांच कर ली गई है। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की चूक न की जाये।

10- <u>uxj ifjÔn /keZ'kkyk }kjk dkrokyh ckt kj e dkxMk dUnh; lgdkjh cd lhfer /keZ'kkyk dk fdjk, ij fn, x;s Hkou ls uxj ifjÔn dk yk[kk #i;s dh gkfu ckjs %&</u>

¼d½ नगर परिङ्कद धर्मषाला के पास कोतवाली बाजार में अपना पुराना भवन था जिसका पुनः निर्माण करके कांगड़ा सहाकरी बैंक सीमित धर्मषाला की शाखा को किराए पर देना प्रस्तावित हुआ और इसके पुनः निर्माण हेतु वर्ङ्क 1995—96 में ꠰ 700000 ⁄— का ऋण लिया गया। अनुबन्ध पत्र के पैरा 5 के अनुसार नगर पालिका द्वारा चार मंजिल भवन का निर्माण प्रस्तावित था जिसमें से एक मंजिल नगर पालिका द्वारा अतिथिग्रह ⁄ विश्रामग्रह के प्रयोग हेतु अपने पास रखनी थी परन्तु अभिलेखों की जांच पड़ताल पर तथा चर्चा के दौरान पाया गया कि बैक द्वारा पूरा भवन अपने उपयोग हेतू रख लिया है और नगर परिषद द्वारा इस भवन में कोई भी विश्राम गृह नहीं खोला गया।

¼[k½ के0 सी0 सी0 बी0 कोतवाली शाखा में नगर परिङ्कद धर्मषाला के ऋण खाता संख्या डज्ब्ब 21.प् की पास बुक की जांच पड़ताल पर निम्नलिखित आपतियां दर्ज की गई जिनकी छानबीन करके वास्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए :—

¼i½ बैंक द्वारा नगर परिङ्कद धर्मषाला को भवन निर्माण हेतु दिये गये ऋण का भुगतान किस्तों में निम्नविवरण के अनुसार किया गया जैसा की पास बुक ऋण खाता संख्या 31 में दर्षाया गया है।

| _.k tek djus dh frfFk | Hkqxrku dh jkf'k |
|---|---|
| 9.4.1995 | 200000 ⁄— |
| 5.5.1995 | 200000 ⁄— |
| 9.10.1995 | 80000 ⁄— |
| 1.11.1995 | 120000 ⁄— |
| 4.3.1996 | 100000 ⁄— |
| ;ksx | 700000 @& |

के0 सी0 सी0 वी0 के जनरल मैनेजर मुख्यालय धर्मषाला के पत्र संख्या ब्.9ध्522ध्ज्ञठध्ध् 34509—11 दिनांक 25.2.1995 के अनुसार लिए गए उपरोक्त ऋण पर 16 प्रतिषत की दर से (व्द ींसि लमंतसल इंेपे) ब्याज तय किया गया था। ऋण पास बुक ⁄ बैंक विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 12.9.1998 को ꠰437212.18 का भुगतान क्मइपज दिखाया गया है

अर्थात ऋण राषि में जोड़ा गया है जोकि एक अति गम्भीर मामला है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये क्योकि दिनांक 31.1.1995 को जो अनुबन्ध पत्र नगर परिङ्खद धर्मषाला और के0 सी0 सी0 बी0 के बीच में हस्ताक्षरित हुआ था, उसके अनुसार ऋण की कुल अधिकतम ₹8/– लाख लेना तय की गई थी। अतः बैक द्वारा नगर परिङ्खद धर्मषाला के ऋण खाते में ₹ 8 लाख की जगह ₹ 1137212.18 का ऋण कैसे दर्षाया जा रहा है। अतः यह मामला निदेषक शहरी विकास विभाग के ध्यान में लाया जाता है ताकि इसकी पूरी छानबीन करवाई जा सके।

¼ii½ अनुबन्ध पत्र के पैरा 3 के अनुसार बैंक भवन के किराये का निर्धारण हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग से करवाया जाना था तथा उसका समायोजन ऋण वापसी की किस्तो मे किया जाना था। अतः लीज डीड अनुसार दिनांक 22.7.1995 से भवन का प्रतिमाह किराया ₹ 8000/– तय हुआ। यह किराया ठंउमदजए ळतवनदक थ्सववत और 2दक थ्सववत के लिए तय हुआ परन्तु प्ेज थ्सववत जोकि बैंक के कब्जे में था उसका किराया तय नही किया गया था जोकि बाद में क्लण ळमदमतंस डंदंहमत के0 सी0 सी0 मुख्यालय धर्मषाला के पत्र संख्या 26930. 31 दिनांक 28.10.2002 द्वारा ₹ 10922/– प्रतिमाह दिनांक 22.7.1995 से तय किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त किराये में स्मेंम क्मंक की शर्त 14 के अनुसार हर 5 वर्ङ्ख बाद किराए में 10 प्रतिषत की वृद्वि करना प्रस्तावित थी। अतः नगर परिङ्खद धर्मषाला को निम्नलिखित दर से किराया प्राप्त होना चाहिए था।

| dekd | vof/k | fdjk, dh jkf'k |
|---|---|---|
| 1. | 22.7.1995 से 21.7.2000 | ₹ 10922/– प्रतिमाह |
| 2. | 22.7.2000 से 21.7.2005 | ₹ 12014/– प्रतिमाह |
| 3. | 22.7.2005 से | ₹ 13215/– प्रतिमाह |

लोन/ऋण खाते की पास बुक/ बैंक विवरणी की जांच पडताल पर पाया गया कि बैंक द्वारा दिनांक 20.7.2004 तक किराए का प्रतिमाह भुगतान/समायोजन ऋण खाते में नही किया गया था और दिनांक 20.7.2004 को ऋण खाते की कुल देनदारी ₹3147860/– दिखाई जा रही थी तथा बैंक द्वारा इस ऋण खाते पर 16 प्रतिषत ींसि लमंतसल की दर से ब्याज जोड़ा जा रहा था जिसके अनुसार 7 लाख के ऋण की राषी 9 वर्ङ्खो मे ₹31.47 लाख तक पहुच गई परन्तु दिनांक 20.7.04 तक बैंक द्वारा प्रतिमाह किराये की किस्तों का कोई समायोजन नही किया गया था। बैंक द्वारा दिनांक 21.7.2004 को ₹1202871/– का एक मुस्त किराया ऋण खाते में ब्तमकपज किया उसके उपरान्त दिनांक 28.8.2004 से लगातार प्रतिमाह किराए की किस्तों का ऋण खाते में समायोजन किया जा रहा है। इस प्रकार बैंक द्वारा दिनांक 22.7.1995 से 20.7.2004 तक ऋण खाते में किराए का प्रतिमाह समायोजन न करने से

नगर परिङ्खद धर्मषाला को ऋण खाते में 16 प्रतिषत ींसि लिमंतसल ब्याज की हानि उठानी पड़ी जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए।

उक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार नगर परिङ्खद धर्मषाला को लाखो रुपये ब्याज की हानि हुई है। अतः सुझाव दिया जाता है कि यह मामला के0 सी0 सी0 के उच्च अधिकारियों से उठाया जाऐ तथा किराये का प्रतिमाह समायोजन न करने के कारण हुई हानि को बैंक से वसूल किया जाए तथा भविष्य में किराये का प्रतिमाह समायोजन करवाया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाऐ।

¼iii½ बैंक द्वारा उपरोक्त ऋण खाते में दिनांक 28.9.2007 तक ₹ 12014/– प्रतिमाह के हिसाब से भुगतान/समायोजन किया है जबकि यह किराया दिनांक 22.7.2005 से ₹ 13215/– प्रतिमाह दिया जाना बनता था। अतः बैंक द्वारा राषि ₹ 31226/– (1201 ग 26) का कम भुगतान/समायोजन किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाऐ और इसका समायोजन/वसूली बैंक में 16 प्रतिषत ब्याज सहित किया जाऐ व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाऐ।

¼iv½ बैंक के चार मंजिला भवन का किराया बहुत कम तय किया गया था क्योंकि बाजार के मध्य में स्थिति होने के कारण इतने बड़े भवन का किराया निर्धारित किराये से अधिक तय किया जाना आपेक्षित था।

¼v½ नगर परिङ्खद धर्मषाला द्वारा किराए को पुनः निर्धारित करने के लिए वर्ङ्ग 2007 मे बैंक प्रबन्धन से बातचीत शुरु की और बैंक से पुनः छमहवजपंजपवद करके किराया ₹25000/– प्रतिमाह तय किया गया, जिसका अनुमोदन के0 सी0 सी0 धर्मषाला के क्ल. ळमदमतंस डंदंहमत ;ौद्ध भ्फ कींतउेंसं के पत्र संख्या 24092–93 दिनांक 11.10.2007 द्वारा किया गया है जिसके अनुसार ₹25000/– प्रतिमाह किराये का भुगतान/ऋण खाते में समायोजन दिनांक 1.10.2007 से करना तय हुआ था। परन्तु ऋण खाते की बैंक विवरणी की जांच पर पाया गया कि बैंक द्वारा दिनांक 5.6.2008 को ₹175000/– का एक मुस्त समायोजन (ब्तमकपज) दर्षाया गया हैं जोकि माह 10/2007 से 6/2008 तक का किराया था जिस पर प्रतिमाह बैंक द्वारा किराया समायोजित न करने के फलस्वरुप नगर परिङ्खद धर्मषाला को ब्याज की हानि हुई है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए और ब्याज के रुप मे हुई हानि को बैंक के ऋण खाते में समायोजित करवाया तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे दिखाई जाऐ।

¼vi½ ऋण खाते की बैक विवरणी की जांच पर पाया गया कि बैंक द्वारा दिनांक 31.3.2010 को ₹60000/– और दिनांक 28.5.2010 को ₹69216/– बतौर ज्क्ै के रुप मे क्मइपज किए है, जिस बारे स्पष्ट किया जाए क्योंकि जो स्मेंम क्ममक पुनः दिनांक 9.5.2008 को नगर परिङ्खद धर्मषाला और के0 सी0 सी0 बैंक प्रबन्धन के बीच हस्ताक्षरित हुई थी उसके वर्णित किसी भी शर्त के अन्तर्गत किराए से किसी भी प्रकार के ज्क्ै या अन्य कर की कटौती की शर्त नही रखी

थी। फिर भी यदि बैंक द्वारा ज्क्ै नियमों के अन्तर्गत काटा है और नगर परिङ्गद धर्मषाला को ज्क्ै ब्मतजपपिबंजम जारी किया है तो नगर परिङ्गद धर्मषाला को आयकर विभाग मे प्दबवउम जमग त्मजतनद थ्पसम करके इसके त्मनिदक के लिए आवेदन करना चाहिए। अतः ़129216 ⁄− पुनः प्राप्त करने तथा डण्ब् निधि में जमा करवाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाऐ और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाऐ।

## 11- lheV 465 cSx vkj vU; fuekZ.k lkexzh dh lfUnX/k [kir dk ckjs esa %&

सीमेंट स्टॉक रजिस्टर की जॉच पड़ताल पर पाया गया कि अवधि 24.4.2008 से 14.1. 2009 तक वार्ड नं0 7, 8, 9, 10 और 11 के लिए निम्नविवरणानुसार 465 बैग सीमेंट जारी किया गया, परन्तु सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा इसकी प्राप्ति को डण्।ण्ण् रजिस्टर में (वार्ड नं0 अनुसार) दर्ज न करके सीधे माप पुस्तिका संख्या 44 के पृष्ट 19 से 24 में खपत दर्षाकर इसे खारिज कर दिया जोकि संन्दिग्ध प्रतीत होता है, क्योकि माप पुस्तिका में अवधि 24.4. 2008 से 14.1.2009 तक विभिन्न इन्डेट के माध्यम से प्राप्त सीमेंट को एक ही समय में वार्ड वार माप पुस्तिका के पृष्ट नं0 19 से 24 मे खपत दर्षाकर खारिज करना उचित नही ठहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यहां पर यह भी वर्णित किया जाता है कि वार्ड वाईज जो सीमेन्ट इन्डेट के माध्यम से जारी किया जाता है वह वार्ड में पहले से नगर परिङ्गद द्वारा अनुमोदित निर्माण कार्यो के लिए जारी करना अपेक्षित होता है और उसकी खपत का ब्यौरा दिनांक वार माप पुस्तिका में दर्ज किया जाना अपेक्षित होता है परन्तु इन मामलों मे ऐसा नही किया गया और मात्र औपचारिकता पूर्ण करने के लिए प्राप्त सीमेन्ट की खपत एक ही बार में माप पुस्तिका में ली गई है। सीमेन्ट के अतिरिक्त जो अन्य निर्माण सामग्री (जैसा कि ैदकए ठतपजए ैजवदम और ठवसकमत ईत्यादि) की खपत दिखाई गई है उसकी प्राप्ति कहां से और कब हुई, का कोई भी अभिलेख आडिट में प्रस्तुत नही किया गया। यह निर्माण कार्य किसी भी उच्च अधिकारी एवॅ डनदपबपचंस म्दहपदममत द्वारा ज्मेज बीमबा या सत्यापित नही किये गये हैं।

अतः यह गम्भीर अनियमितता का मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है ताकि इसकी पूरी जॉच पड़ताल की जा सके। जारी किये गये सीमेन्ट व अन्य सामान की खपत का ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

WARD NO. 7

| Sr.No. | Dated | Indent No. | Cement issued |
|---|---|---|---|
| 1ण् | 24ण्4ण्2008 | 19६27 | 10 इंहे |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2ए | 14ए5ए2008 | 19ध्30 | 10 इंहे |
| 3ए | 2ए6ए2008 | 19ध्35 | 10 इंहे |
| 4ए | 25ए6ए2008 | 19ध्40 | 10 इंहे |
| 5ए | 22ए8ए2008 | 19ध्42 | 10 इंहे |
| 6ए | 1ए10ए2008 | 19ध्47 | 10 इंहे |
| 7ए | 25ए10ए2008 | 19ध्52 | 10 इंहे |
| 8ए | 5ए11ए2008 | 19ध्57 | 10 इंहे |
| 9ए | 5ए12ए2008 | 19ध्63 | 10 इंहे |
| 10ए | 14ए1ए2009 | 19ध्68 | 10 इंहे |
| | | Total | 100 bags |

vU; fuekZ.k lkexzh tks mi;ksx dh xbZ ekSdk ij fLFkr dk;Z ds lEcU/k esa crk;k x;k g S%&

| | | |
|---|---|---|
| ।ए | ळतपज | 16ए2 उङ |
| b. | ैदक | 16ए2 उङ |

WARD NO. 8

| Sr.No. | Dated | Indent No. | Cement issued |
|---|---|---|---|
| 1ए | 24ए4ए2008 | 19ध्28 | 10 इंहे |
| 2ए | 14ए5ए2008 | 19ध्31 | 10 इंहे |
| 3ए | 2ए6ए2008 | 19ध्36 | 10 इंहे |
| 4ए | 25ए6ए2008 | . | . |
| 5ए | 22ए8ए2008 | 19ध्43 | 10 इंहे |
| 6ए | 1ए10ए2008 | 19ध्48 | 10 इंहे |
| 7ए | 25ए10ए2008 | 19ध्53 | 10 इंहे |
| 8ए | 5ए11ए2008 | 19ध्58 | 10 इंहे |
| 9ए | 5ए12ए2008 | 19ध्64 | 10 इंहे |
| 10ए | 14ए1ए2009 | 19ध्69 | 10 इंहे |
| | | Total | 90 bags |

vU; fuekZ.k lkexzh tks mi;ksx dh xbZ ekSdk ij fLFkr dk;Z ds lEcU/k esa crk;k x;k g S%&

| | | |
|---|---|---|
| ।ए | ळतपज | 16ए2 उङ |
| b. | ैदक | 13ए5 उङ |
| c. | ैजवदम | 21ए6 उङ |

WARD NO. 9

| Sr.No. | Dated | Indent No. | Cement issued |
|---|---|---|---|
| 1ण | 24ण4ण2008 | . | . |
| 2ण | 14ण5ण2008 | 19६32 | 10 इंहे |
| 3ण | 2ण6ण2008 | 19६37 | 10 इंहे |
| 4ण | 25ण6ण2008 | 19६41 | 10 इंहे |
| 5ण | 22ण8ण2008 | 19६44 | 10 इंहे |
| 6ण | 1ण10ण2008 | 19६49 | 10 इंहे |
| 7ण | 25ण10ण2008 | 19६54 | 10 इंहे |
| 8ण | 5ण11ण2008 | 19६59 | 10 इंहे |
| 9ण | 5ण12ण2008 | 19६65 | 10 इंहे |
| 10ण | 14ण1ण2009 | 19६70 | 10 इंहे |
| | | Total | 90 bags |

vU; fuek.k lkexh tk mi;kx dh xb eki ifLrdk e crkb xb g %&

| | | |
|---|---|---|
| ण | ळतपज | 10ण8 उङ |
| b. | ँदक | 13ण5 उङ |
| c. | ँजवदम | 1ण8 उङ |
| d. | ठवसकमत | 2ण7 उङ |

WARD NO. 10

| Sr.No. | Dated | Indent No. | Cement issued |
|---|---|---|---|
| 1ण | 24ण4ण2008 | . | . |
| 2ण | 14ण5ण2008 | 19६33 | 10 इंहे |
| 3ण | 2ण6ण2008 | 19६38 | 10 इंहे |
| 4ण | 25ण6ण2008 | . | . |
| 5ण | 22ण8ण2008 | 19६45 | 10 इंहे |
| 6ण | 1ण10ण2008 | 19६50 | 10 इंहे |
| 7ण | 25ण10ण2008 | 19६55 | 10 इंहे |
| 8ण | 5ण11ण2008 | 19६60 | 10 इंहे |
| 9ण | 5ण12ण2008 | 19६66 | 10 इंहे |
| 10ण | 14ण1ण2009 | 19६71 | 10 इंहे |
| | | Total | 80 bags |

vU; fuek.k lkexh tk mi;kx dh xb eki ifLrdk e crkb xb g %&

| | | |
|---|---|---|
| ण | ळतपज | 14ण85 उङ |
| b. | ँदक | 14ण85 उङ |
| c. | ब्नज ँजवदम | 2ण25 उङ |

ARD N0. 11

| r.No. | Dted | Indent No. | Cement iued |
|---|---|---|---|
| 1ण | 24ण4ण2008 | 19६26 | 15 इंहे |
| 2ण | 14ण5ण2008 | 19६29 | 10 इंहे |
| 3ण | 2ण6ण2008 | 19६34 | 10 इंहे |
| 4ण | 25ण6ण2008 | 19६39 | 10 इंहे |
| 5ण | 22ण8ण2008 | 19६46 | 10 इंहे |
| 6ण | 1ण10ण2008 | 19६51 | 10 इंहे |
| 7ण | 25ण10ण2008 | 19६56 | 10 इंहे |
| 8ण | 5ण11ण2008 | 19६61 | 10 इंहे |
| 9ण | 5ण12ण2008 | 19६67 | 10 इंहे |
| 10ण | 14ण1ण2009 | 19६72 | 10 इंहे |
| | | Totl | 105 bg |

vU; fuek.k lkexh tk mi;kx dh xbl eki ifLrdk e crkbl xbl g %&

| | | |
|---|---|---|
| ण | ळतपज | 16ण2 उङ |
| b. | ैदक | 8ण1 उङ |

12- Depoit ork ¼C/o Multilevel Prking Complex Oppoite hi Hotl Mcleodgnj, lfonkdkj dk uke Jh lt; lkuh] vuqcU/k l[;k 16 oÔ 2008&09½ %&

| d0l0 | okmpj l[;k | fnukd | jk'kh ¼½ |
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 4.2.2008 | 383850.00 |
| 2. | 16 | 26.9.2009 | 3960285.00 |
| 3. | 17 | 29.9.2009 | 517845.00 |
| 4. | — | 13.1.2010 | 386040.00 |

इस निर्माणकार्य से सम्बन्धित उपरोक्त वाऊचरों की जांच पडताल पर निम्नलिखित आप्पतियां पाई गई।

¼i½ इस निर्माण कार्य का टैन्डर दिनांक 27.2.2008 को आंमत्रित किया गया जिसकी अनुमानित लागत ₹2/—करोड़ आंकी गई थी और इसमें दो संविदाकारों ने अपनी दरे अंकित की। न्यूनतम दर वाले संविदाकार श्री संजय सोनी को यह निर्माण कार्य ₹2,77,88,367/— में नगर परिड्ढद के कार्यकारी अधिकारी के पत्र संख्या 1013—19 दिनांक 12.6.2008 द्वारा आंवटित किया गया। जॉच पड़ताल पर पाया गया कि जिस क्ण्छण्ण्ण्ज के आधार पर टैन्डर आमन्त्रित किए थे, वो किसी भी सक्षम अधिकारी से अनुमोदित नही करवाई गई थी

तथा अनुमानित लागत ृ2/—करोड़ से सम्बन्धित क्तूंपदहध्क्मेपहद भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए तथा जो अनुमानित लागत डनदपबपचंस म्दहपदममत द्वारा तैयार की गई थी वह ृ3. 74 करोड़ थी। यद्यपि यह अनुमानित लागत भी उच्च सक्षम अधिकारियों से अनुमोदित नही करवाई गई थी फिर भी अगर टैडर शीघ्र आमन्त्रित करना जरुरी था तो भी क्ण्छण्ण्ज् को सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवा कर ही टैडर आमन्त्रित किए जाने अपेक्षित थे। अतः इस गम्भीर अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाऐ कि बिना क्ण्छण्ण्ज् के अनुमोदन के टैडर किस नियम के अन्तर्गत आमन्त्रित किए गये।

¼ii½ इस निर्माण कार्य क्ण्छण्ण्ज् में कई महत्वपूर्ण मदें जोकि हर निर्माणकार्य में करवाई जाती है, नही ली गई और इनका भुगतान अब प्रतिस्थापित मदों के रुप में किया जा रहा है। टैंडर केस की जॉच पड़ताल पर पाया गया कि क्ण्छण्ण्ज् की मद संख्या 17 में कार्य मात्रा गल्त दर्षाई गई थी जिसके कारण दोनो संविदाकारो की दरो में ृ34 लाख से अधिक का अन्तर पाया गया। यह मद क्छप्ज् मे इस प्रकार ली गई थी, श् ङ्मवजं `जवदम `संइ 25उउ जीपबा पद `ापतजपदह तपेमत `जमचेए कंकव ंदक च्पससंते संपक वद 12उउ जीपबा बमउमदज उवतजंते 1रू3 त्र 6579ण्50उ² श जबकि वास्तव में 6579ण्5उ² कार्यमात्रा का काम `ापतजपदह की जगह थ्सववतपदह मे होना था, जिसके लिए न्यूनदर वाले संविदाकार ने ृ100/— वर्गमीटर की दर अंकित की और दूसरे संविदाकार ने इस मद के लिए ृ620/— वर्गमीटर की दर अंकित की। इस प्रकार इस अकेली मद में दोनो संविदाकारो की दरो मे ृ3421340/— का अन्तर पाया गया, जबकि पूरे टैडर में दोनो संविदाकारो की कुल राषि का अन्तर ृ897653/— (29926850 — 29029197) पाया गया। अतः क्छप्ज् में इतनी बड़ी गलती होने के कारण इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और चूक करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियो से अपेक्षित स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाऐ ताकि भविष्य में इस प्रकार की गम्भीर अनियमितताऐं दोबारा न दोहराई जाऐ।

¼iii½ क्ण्छण्ण्ज् की मद संख्या 8 जोकि ष्च्तवअपकपदह ज्वत `जममस तमपदवितबमउमदज वित त्ब्ब् ूवताष से सम्बन्धित है, उसकी `बीमकनसम वि ुनंदजपजल में कुल 388782 कि0ग्रा0 की मात्रा आंकी गई थी, जोकि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी क्तूंपदहध्क्मेपहद पर आधारित नही थी, क्योकि नगर परिङ्घद धर्मषाला द्वारा वाऊचर संख्या 16 और 17 माह 9/2009 द्वारा इस निर्माणकार्य के लिए मै0 सुरिन्द्रा टैडर, योल कैम्प से 1104600 कि0ग्रा0 स्टील की खरीद की और ृ4478130/— का भुगतान किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस निर्माण कार्य की अनुमानित लागत का आंकलन बिल्कुल ही गलत किया गया था, क्योंकि निर्माण कार्य के शुरु में ही स्टील की खरीद तीन गुना अधिक मात्रा में क्रय की गई है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेष सरकार के आदेषों के अनुसार स्टील की खरीद सरकार द्वारा चयनित ।नजीवतपेमक क्मंसमत से पूर्व निर्धारित दरो पर की जानी जरुरी है परन्तु नगर परिङ्घद धर्मषाला द्वारा सरकार के आदेषों की अवहेलना करते हुऐ ृ44.78 लाख की स्टील की खरीद प्राईवेट दुकानदार से

की गई। यह एक अति गम्भीर मामला है जोकि निदेषक, शहरी विकास विभाग के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान चर्चा में अवगत करवाया गया कि खरीदा गया स्टील ै।प्स् कम्पनी का है परन्तु उसका ज्मेज ब्मतजपपिबंजम अंकेक्षण में उपलब्ध नही करवाया गया, जोकि आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाये।

¼iv½ उपरोक्त निर्माणकार्य के ॅवता स्मकहमत की जांच पड़ताल पर पाया गया कि ृ447200/— का भुगतान श्री विनय शर्मा एसोसिएट (आर्किटैक्ट) सुभाङ्ग चौक पालमपुर को उपरोक्त निर्माणकार्य की क्च्त् तैयार करने के लिए ।तबीपजमबजनतंस थ्ममे / 1ण्3ः व िच्तवरमबज बवेज ;पण्म ते 3ण्44 बतवतमेद्ध के हिसाब से किया गया है। इसका 50 प्रतिषत भुगतान ृ223600/— वाऊचर सं0 13 माह 2/2008 द्वारा किया गया है और शेङ्ग भुगतान बाद मे किया गया है। उपरोक्त क्च्त की ृ3.44 करोड़ के विपरीत टैंडर आमत्रिंत करते समय अनुमानित ृ2/—करोड़ आंकी गई।

इसके अतिरिक्त इस निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति (ज्मबीदपबंस ैंदबजपवद) हि0प्र0 आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निगम बिहार षिमला से प्राप्त की गई जिसके लिए 1 प्रतिषत के हिसाब से ृ585840/— का भुगतान किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि पूरी लागत ृ5.85 करोड़ है।

अतः यह स्पष्ट किया जाये कि श्री विनय शर्मा आर्किटेक्ट तथा हिमुडा को ृ447200/— तथा ृ585400/—का भुगतान किस आधार पर किया गया क्योकि इनकी क्च्त् मे च्तवरमबज ब्वेज 3ण्44 करोड़ आंकी गई थी और हिमऊडा से तकनीकी स्वीकृति ृ5.85 करोड़ की प्राप्त की गई। अगर क्च्त् की च्तवरमबज ब्वेज सही थी तो तकनीकी स्वीकृती भी उतनी ही राषी की ली जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त टैंडर आमंत्रित करते समय अनुमानित लागत का आंकलन ृ2/—करोड़ करने का कारण भी स्पष्ट किया जाए। अतः अनुमानित लागत में इतने अधिक अन्तर को स्पष्ट करते हुए विनय शर्मा एसोषिएट कंट्रैक्टर/हिमुडा को किए गए भुगतान को उचित ठहराया जाए। इस प्रकार हिमुडा को ृ2.41 लाख का अधिक भुगतान किस आधार पर किया गया।

¼v½ आर्किटेक्ट फर्म के साथ हुए करार की शर्तो अनुसार इस फर्म के वास्तुकार द्वारा समय—2 पर निर्माणकार्य की जांच करनी थी और समय—2 पर उचित निर्देष देने थे परन्तु जांच पड़ताल पर पाया गया कि इस निर्माणकार्य के लिए कोई ैपजम वतकमत ठववा नही लगाई गई है और न ही कोई अन्य अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जिससे यह प्रमाणित हो सके की वास्तुकार ने समय—2 पर निर्माणस्थल का दौरा किया गया और निर्माण कार्य सम्बन्धी कोई निर्देष दिए अथवा नहीं। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

¼vi½ जांच पड़ताल पर यह भी पाया गया कि नगर परिड्ढद धर्मषाला द्वारा इतने बड़े निर्माण कार्य को शहरी विकास विभाग के अधिषासी अभियन्ता द्वारा भी माप पुस्तिका में निर्माण कार्य की गुणवता की जॉच का टेस्ट चैक नही किया गया।

13- Depoi t lork ¼.P. Office Building t Dhrmhl Di t t. Kngr½ ½&

| d0l0 | okmpj l[;k | fnukd | jk'kh ¼½ |
|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 2.12.2008 | 226663.00 |
| 2. | 21 | 12.12.2008 | 170379.00 |
| 3. | 26 | 15.12.2008 | 415268.00 |
| 4. | 8 | 12.3.2008 | 100966.00 |

पुलिस अधीक्षक कांगड़ा के कार्यालय ईमारत की प्रथम मंजिल और द्वितीय मंजिल के निर्माण कार्य से सम्बन्धित उपरोक्त बिलो की जांच पड़ताल पर निम्नलिखित आप्पतियां पाई गई जिनके बारे मे उचित कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

¼i½ इस निर्माण कार्य पर ॅवता स्मकहमत के पृष्ट 169 के अनुसार कुल ृ5791272 का खर्चा किया जा चुका था परन्तु अभिलेख की जांच पड़ताल पर पाया गया कि अभी तक नगर परिड्ढद धर्मषाला द्वारा इस निर्माणकार्य को करने की तकनीकी स्वीकृती (ज्मबीदपबंस ैंदबजपवद) प्राप्त नही की है। बिना तकनीकी स्वीकृती के निर्माण कार्य करना नियमानुसार उचित प्रतीत नही होता जिस बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाऐ और तकनीकी स्वीकृती शीघ्र प्राप्त की जाऐ।

¼ii½ अभिलेख की जांच पड़ताल पर पाया गया कि इस निर्माणकार्य का टैडर दिनांक 16. 12.2006 को खुला था जिसमें 5 संविदाकारो ने भाग लिया था। सबसे कम दरे संविदाकार श्री सुरेन्द्र शर्मा निवासी (मक्लोड़गंज) धर्मषाला द्वारा ृ3491912/— अंकित की थी। नगर परिड्ढद धर्मषाला द्वारा इसका टैडर रदद करके कार्य का आवंटन ्दक स्वूमेज संविदाकार श्री विकास सूद निवासी (खनियारा) धर्मषाला को कार्यकारी अधिकारी, नगर परिड्ढद धर्मषाला के पत्र संख्या 714 दिनांक 5.2.2007 द्वारा ृ3622730/— में छमहवजपंजपवद के बाद आवंटित कर दिया गया।

अभिलेख की जॉच पड़ताल पर पाया गया कि सबसे कम दर अंकित करने वाले संविदाकार श्री सुरेन्द्र शर्मा का टैडर निविदा की शर्त 9 को पूरा न करने के कारण रद्द किया जोकि इस प्रकार से थी, श जीम ज्मदकमत थ्वतउ ेंसस इम पेनमक जव बसें ठ ंदक इवअम बसें बवदजतंबजवत ंदक जीवेम बवदजतंबजवतेै ीव ींअम ेनबबमेेनिससल मगमबनजमक ेपउपसपंत दंजनतम वि वदम ूवता नचजव ृ 250000ध् पद ळवअजण् मबजवतण्श नियमानुसार अगर कोई संविदाकार निविदा की

शर्तो को पूरा नही करता है तो उसे टैडर फार्म जारी नही किया जाना चाहिए, क्योंकि संविदाकार की निर्माण कार्य करने की सर्मथता (म्सपहपइपसपजल) नियमानुसार टैडर फार्म जारी करने से पहले जांची जानी चाहिए थी। अतः बिना जाँच किए ही उपरोक्त फार्म को टैंडर जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए क्योंकि उपरोक्त के दृष्टिगत न्यूनतम दर वाले संविदाकार का टैडर रदद करके <sup>ए</sup>दक स्वूमेज संविदाकार को कार्य का आवंटन अधिक ृ130818@& पर करने को उचित नही ठहराया जा सकता, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाऐ।

¼iii½ इस निर्माण कार्य की प्रषासनिक स्वीकृती ृ3000000@& पुलिस अधीक्षक कांगड़ा के कार्यालय पत्र संख्या 3391 दिनांक 28.1.2006 द्वारा नगर परिड्ढद धर्मषाला को प्रदान की गई है जबकि इस पर ृ5791272@& का खर्चा किया जा चुका है। अतः इस निर्माणकार्य की संषोधित प्रषासनिक स्वीकृती प्राप्त की जाऐ। नगर परिड्ढद धर्मषाला को पुलिस विभाग द्वारा माह जून 2010 तक कुल ृ6300000@& इस निर्माण कार्य के लिए दिये जा चुके है। ॅवतो स्मकहमत के अनुसार दिनांक 7.6.2010 तक संविदाकार श्री विकास सूद का निर्माण कार्य पूरा करने पर 8जी – थ्पदंस ठपसस पारित किया जा चुका है। इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित ॅवतो स्मकहमत की जांच पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिड्ढद धर्मषाला द्वारा इस निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क यानी क्मचंतजउमदजंस बिंतहमे का कोई भी खर्चा नही जोड़ा गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाऐ, क्योकि किसी भी निर्माण कार्य को करने से पहले दोनो विभागो के बीच क्मचंतजउमदजंस बिंतहमे तय होने चाहिए थे परन्तु इस निर्माण कार्य में क्मचंतजउमदजंस बींतहमे के बारे कोई भी अभिलेख आडिट को नही दिखाया गया। अतः बिना क्मचंतजउमदजंस बिंतहमे के निर्माण कार्य का औचित्य भी स्पष्ट किया जाए। अतः यह मामला उचित कार्यवाही हेतु निदेषक, शहरी विकास विभाग के ध्यान में लाया जाता है।

14- **uxj ifj"kn {ks= esa eksckby Vkoj dh Installation Qhl vkj okf"kZd Renewal Qhl dh cdk;k 360000@& #i;s**

हि0 प्र0 सरकार के आदेषों के अनुसार कोई भी कम्पनी किसी भी क्षेत्र में बिना नगर परिड्ढद या पंचायत की स्वीकृती के मोबाईल टावर स्थापित नही कर सकती है। मोबाईल टावर स्थापित करने से पहले सभी कम्पनीयों को सम्बन्धित नगर परिड्ढद में स्थापना फीस (प्देजंसंजपवद बिंतहमे) ृ10000@& प्रति टावर जमा करवाने है और प्रतिवर्ड्ढ ृ5000@& प्रति टावर इसकी त्मदमूंस थ्मम के तौर पर जमा करवाना आवष्यक है। इस बारे नगर परिड्ढद धर्मषाला के अधिकारियों द्वारा अंकेक्षण को निम्नलिखित जानकारी दी गई।

¼i½ नगर परिड्ढद क्षेत्र मे कुल 26 नं0 टावर स्थापित है जिनमें से सिर्फ 14 नं0 मोबाईल टावर नगर परिड्ढद धर्मषाला की अनुमति से स्थापित किए गये है और शेड्ढ 12 नं0 टावर स्थापित करने से पहले सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा स्वीकृती प्राप्त नही की है और न ही

प्देजंसंजपवद फीस जमा करवाई गई है। जिन कम्पनियों द्वारा बिना स्वीकृती मोबाईल टावर स्थापित किऐ है उनमे 4 टावर एयरसैल कम्पनी, 6 टावर एयर टेल कम्पनी और 2 टावर रिलायन्स कम्पनी के है।

¼ii½ नगर परिषद धर्मषाला द्वारा एयरसैल कम्पनी को नोटिस जारी किया गया है कि वह 4 मोबाईल टावर की स्थापना फीस ₹40000/— और वार्ड्डिक त्मदमूंस थ्मम वर्ड्ड 2006—07, 2007—08, 2008—09 और वर्ड्ड 2009—10 जोकि प्रतिवर्ड्ड ₹20000/— के हिसाब से चार वर्ड्डों की ₹80000/— बनती है जमा करवाई जाऐ। अतः नगर परिड्डद धर्मषाला को ।पतबमसस कम्पनी से कुल ₹120000/— टावर स्थापना और त्मदमूंस फीस के वसूलना शेड्ड है।

¼iii½ ।पतजमसस कम्पनी को भी नगर परिड्डद धर्मषाला द्वारा नोटिस जारी किया गया है कि कम्पनी 6 नं0 मोबाईल टावरों की स्थापना फीस ₹ 60000/— और वार्ड्डिक त्मदमूंस थ्मम वर्ड्ड 2006—07, 2007—08, 2008—09 और वर्ड्ड 2009—10 की कुल ₹120000/— (₹30000/— प्रतिवर्ड्ड के हिसाब से) जमा करवाऐं। अतः नगर परिड्डद धर्मषाला द्वारा ।पतजमसस कम्पनी से कुल ₹180000/— वसूली हेतु शेड्ड है।

¼iv½ रिलॉयस कम्पनी द्वारा नगर परिड्डद क्षेत्र मे 2 नं0 मोबाईल टावर बिना अनुमति के स्थापित किए है जिन्हें भी नगर परिड्डद धर्मषाला द्वारा नोटिस जारी किया गया है कि 2 टावर की स्थापना फीस ₹20000/— और त्मदमूंस थ्मम वर्ड्ड 2006—07, 2007—08, 2008—09 और वर्ड्ड 2009—10 की कुल ₹40000/— जमा करवाई जाऐ। अतः रिलॉयस कम्पनी से नगर परिड्डद धर्मषाला द्वारा कुल राषि ₹60000/— की वसूली की जानी शेड्ड है।

उक्त के अतिरिक्त सभी कम्पनियों को नगर परिड्डद द्वारा चार वर्ड्डों के बाद दिनांक 13.8.2010 को नोटिस जारी किये गये है परन्तु नगर परिड्डद धर्मषाला द्वारा जब मोबाईल कम्बनियों द्वारा नगर परिड्डद क्षेत्र मे मोबाईल टावरों की स्थापना की जा रही थी तो कोई कार्यवाही नही की थी जोकि एक गम्भीर मामला है और निदेषक शहरी विकास विभाग के ध्यान मे लाया जाता है ताकि इस चूक के लिए नगर परिड्डद धर्मषाला के अधिकारियों से स्पष्टिकरण प्राप्त किया जाए व उचित कार्यवाही की जाऐ। इसके अतिरिक्त यह भी सुझाव दिया जाता है कि बकाया ₹360000/— की वसूली हेतु ठोस प्रयास किऐ जाऐ और इस राषि की वसूली प्राप्त करके नगर परिड्डद निधि में जमा करवाई जाऐ व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाऐं।

## 15- vkbZ0 Mh0 ,l0,e0Vh0 fjokyfox QaM ls cuk, x;s Community Hall dk ckjs esa %&

अभिलेख की जांच पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिड्डद धर्मषाला द्वारा वर्ड्ड 1994—95 में शहर के बीच लगभग ₹ एक करोड़ की लागत से एक ब्वउउनदपजल भ्ंसस/भवन का निर्माण किया गया था जिसके ग्रॉऊड फ्लोर में पार्किंग, प्रथम मंजिल में कमरे एवं हाल

और ऊपर की मंजिल में शादियों या पार्टियों के लिए एक बड़ा हाल है। इस ब्वउउनदपजल भवन का रख रखाव नगर परिङ्गद धर्मषाला द्वारा खुद ही किया जा रहा है। जॉच पड़ताल पर पाया गया कि इस ब्वउउनदपजल भ्ंसस/भवन से जो आय सम्बन्धित खर्चों को निकाल कर नगर परिङ्गद धर्मषाला को प्रतिवर्ङ्ग हो रही है वो बहुत ही कम है और अगर इस भवन को वार्ङ्गिक आधार पर पटटे पर खुली बोली द्वारा दिया जाता है तो सम्भवतः आय काफी बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त ब्वउउनदपजल भ्ंसस रख रखाव पर नगर परिङ्गद धर्मषाला द्वारा 8–10 कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है जिनकी सेवाऐं अन्य जगह पर ली जा सकती है। अंकेक्षण अवधि के दौरान ब्वउउनदपजल भवन पर खर्चा और प्राप्त आय निम्न प्रकार से रही है। इन खर्चे में कर्मचारियों के वेतन पर खर्च राषि सम्मिलित नही है।

| oÔ | vk; | 0;;@[kpk |
|---|---|---|
| 2007 – 08 | 420250.00 | 150993.00 |
| 2008 – 09 | 460400.00 | 121264.00 |
| 2009 – 10 | 556100.00 | 45794.00 |

अतः सुझाव दिया जाता है कि विभागिय स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही करके ब्वउउनदपजल भवन को वार्ङ्गिक आधार पर खुली बोली द्वारा पटटे पर दिया जाने की सम्भावना पर विचार किया जाए तथा आंकलन किया जाऐ कि यदि इस भवन को खुली बोली के आधार पर पटटे पर दिया जाता है तो इस भवन से कितनी आय प्राप्त हो सकती है क्योंकि वर्ङ्ग 1994 में एक करोड़ की लागत से तैयार और शहर के सबसे बढ़िया जगह पर स्थित होने के कारण इसे ब्वउउनदपजल भ्ंसस से कम से कम प्रतिवर्ङ्ग ्15–20 लाख की आय नगर परिङ्गद धर्मषाला को प्राप्त होनी चाहिए।

## 16- fcuk foHkkxh; 'kYd ¼Deprtmentl Chrge½ d fofHkUu foHkkxk d fuek.k dk;k dk dju ckjA

नगर परिङ्गद धर्मषाला द्वारा धर्मषाला षहर में अन्य विभागों के भवनो इत्यादि के निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। अभिलेख की जॉच पड़ताल पर पाया गया कि दूसरे विभागों का निर्माण कार्य करने से पहले उनके साथ कोई भी डण्व्न् या शर्ते तथा नही की गई तथा न ही निर्माण कार्य को करने के एवज मे नगर परिङ्गद धर्मषाला द्वारा क्मचंतजउमदजंस बिंतहमे के रुप में वसूल की जाने वाली राषि के बारे कोई समझौता किया गया। जांच पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिङ्गद धर्मषाला द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नवर्णित निर्माणकार्य अन्य विभागों/बोर्ड इत्यादि के लिए पूरे किए परन्तु क्मचंतजउमदजंस बिंतहमे के रुप मे कोई धनराषी प्राप्त नही की गई है।

| d0l0 | fuek.k dk;l dk | dy [kpk 31-3- | tgk l jkf'k ikIr dh |
|---|---|---|---|

| | uke | jkf'k iklr dh | 10 rd | dk C;kjk |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ब्ध्व ैबीववस ठनसपकपदह व ि ळ्ैैैैण् थ्तेमजहंदर | 1827800६. | 1827800६. | क्ण्ब्ण् वींतउींसं ैबीमउम टण्डण्श्रण्ै.3078 कंजमक 2ण्3ण्2005 |
| 2. | ब्ध्व ैण्च्ण् वींपिबम ठनसपकपदह वींतउींसं | 6300000६. | 5791272६. | च्वसपबम क्मचंतजउमदज |
| 3. | ब्ध्व क्पेजतपबज स्पइतंतल ठनसपकपदह | 2000000६. 4504000६. | 1893221६. | क्ण्ब्ण् वींपिबम वींतउींसं – म्कनबंजपवद क्मचजजण् ैपिउसं |
| 4. | ैचमबपंस त्मचंपत व िभ्ळ भ्वनेम व िठण्व्ैण्म्ण् वींतउींसं | 216862६. 227892६. | 195048६. 213208६. | ठण्व्ैण्म्ण् वींतउींसं |

इस सन्दर्भ में प्रस्तुत है कि जहां एक तरफ नगर परिङ्खद धर्मषाला में अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए धन की कमी चल रही है और वही दूसरी तरफ नगर परिङ्खद धर्मषाला बिना क्मचंतजउमदजंस बिंतहमे के अन्य विभागो के निर्माण कार्य कर रहा है और कई कर्मचारी जैसे कि डवजमत डंजमए ैनचमतअपेवतए ठमसकंत इत्यादि जोकि इन निर्माण कार्यो को पूरा करने में लगाऐं गये है उनका वेतन भी नगर परिषद निधि से किया जा रहा है, जोकि आपतिजनक है।

अतः सुझाव दिया जाता है कि जो ूवता बींतहमध्क्ब्ै इत्यादि कर्मचारी जो अन्य विभागों के निर्माणकार्यो को पूरा करने मे लगाए जाते है उनका वेतन का खर्चा भी उन्ही विभागों से वसूला जाऐ अर्थात उन्ही के खाते में जोड़ा जाऐ। इसके अतिरिक्त क्मचंतजउमदजंस बिंतहमे निर्माणकार्य शुरु करने से पहले तय करके सम्बन्धित विभागों से वसूले जाऐ। अतः यह मामला निदेषक, शहरी विकास विभाग के ध्यान में लाया जाता है ताकि नगर परिङ्खद को उचित निर्देष दिए जाऐ कि बिना क्मचंतजउमदजंस बिंतहमे के किसी भी अन्य विभाग का कोई भी निर्माणकार्य न किया जाए।

17- <u>xgdj@nqdkuksa ds fdjk;s dh cdk;k olwyh ckjs</u> %&

¼i½ अभिलेख की जांच पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिङ्खद धर्मषाला में ₹1.50 करोड़ से ज्यादा की वसूली ग्रहकर के रुप में बकाया है और यह राषि प्रतिवर्ङ्ख बढ़ती जा रही है जिसका वर्ङ्खवार विवरण निम्नप्रकार से है। अतः इसकी वसूली हेतु ठोस कदम उठाये जाये और जो बकाया राषि सरकारी विभागों से वसूली जानी है उसका मामला सम्बन्धित विभागाध्यक्षो से उठाया जाऐ।

| oÔ | fuftHkou ekfydksa ls cdk;k xgdj dh ¼#½ | ljdkjh foHkkxksa@Hkouksa dh cdk;k xgdj dh ¼#½ |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 2007 – 08 | 9781314.00 | 7134600.00 |
| 2008 – 09 | 8780512.00 | 7259600.00 |
| 2009 – 10 | 8330800.00 | 7395560.00 |

¼ii½ इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.2010 को नगर परिङ्खद धर्मषाला द्वारा किराए पर दी गई दुकानों से ̧ 1239320/– दुकान किराए के रुप में वसूले जाने शेङ्ख है।

## 18- uxj ifjÔn }kjk viu deipkfj;k dk fn, vfxie /ku ` 102668@& dk lek;ktu@olyh u dju ckjA

अभिलेख की जांच पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिङ्खद धर्मषाला द्वारा अपने निम्नलिखित कर्मचारियों को पिछले 8–10 वङ्खों में जो अग्रिमधन का भुगतान किया गया था उसका अभी तक समायोजन नही किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि इन कर्मचारियों द्वारा प्राप्त धनराषी का दुर्विनियोजन किया गया है जोकि गम्भीर मामला है और उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है ताकि नियमानुसार अग्रिमधन राषियों की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन से दंड ब्याज सहित की जा सके। अगर इन कर्मचारियों का स्थानान्त्रण हो चुका है तो उनके सम्बन्धित डी0 डी0 ओ0 को इस धनराषि की वसूली हेतु लिखा जाऐ। लम्बित अग्रिमधन राषियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

| dlekd | deipkjh dk uke o inuke | Hkxrku dh frfFk | jkf'k |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री जोगिन्द्र सिंह (जे0 ई0) | 7.11.2000 | 20000.00 |
| | | 27.5.2003 | 30000.00 |
| | | 27.5.2005 | 10000.00 |
| | | 30.5.2007 | 20000.00 |
| | | | `80000-00 |
| 2. | श्री मन्जीत सिंह (चालक) | 9.11.2000 | 10296.00 |
| | | 16.11.2000 | 6872.00 |
| | | | `17168-00 |
| 3. | श्री भगवान सिंह (टंगपदंजवत) | 16.12.2000 | 3500.00 |
| 4. | श्री सुरेष कुमार ̈(नचमतअपेवत) | – | 1500.00 |
| 5. | श्री जितेन्द्र कुमार ̈(दपजवतल ̈नचमतअपेवत ) | – | 500.00 |
| | | dqy ;kx | `102668-00 |

अतः अग्रिम धन की उपरोक्त वर्णित राषियों का शीघ्र समायोंजन किया जाऐ तथा दंड ब्याज सहित इसकी वसूली करके नगरपरिङ्खद निधि में जमा करवाई जाऐ और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाऐ।

## 19- uxj ifjÔn fuf/k vkj fMikftV fuf/k e i'ku /kkjdk dk 2538672@& d vuqfpr Hkxrku ckjA

वाऊचर सं0 29 और 30 माह 8/2009, 3/2008 द्वारा ् 50000/— और 114978/— की जांच पड़ताल पर पाया गया कि यह भुगतान नगर परिङ्घद धर्मषाला द्वारा अपने पैंषन धारकों को पैंषन, ब्वउउनजंजपवद पैन्षन की सारांषित मूल्य और उपदान के प्रयोजन के लिए किया गया है जोकि उचित प्रतीत नही होता, क्योकि शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या एल0 एस0 जी0 (बी0) 1—79 दिनांक 25.4.2000 के नियम 3 ' पैन्षन और उपदान निधि की स्थापना' के उपनियम (3) और (4) के अनुसार, "नगरपालिका, पैन्षन और उपदान निधियो हेतु कर्मचारियों के वेतन के मासिक भुगतान का क्रमषः पैन्षन के बदले में 12 प्रतिषत की दर से और उपदान के बदले में 5 प्रतिषत की दर से नगरपालिका, अभिदान करेगी। पैन्षन और उपदान निधि का उपयोग केवल पैन्षन और कुटुम्ब पैन्षन की सांराषित मुल्य और उपदान के प्रयोजन के लिए किया जाएगा।"

अभिलेख की जांच पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिङ्घद धर्मषाला में प्रतिमाह नगर परिङ्घद निधि से राषि ् 71708/— का हस्तांतरण पैंषन निधि में किया जा रहा है परन्तु पैन्षन की देनदारी अधिक होने के कारण सेवानिर्वित कर्मचारियों को पैन्षन का भुगतान, कार्यकारी अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त नगर परिङ्घद निधि और डिपोजिट निधि से किया जा रहा है जोकि हि0 प्र0 सरकार के शहरी विकास निदेषालय द्वारा अपने कार्यकारी अधिकारियों को प्रदान की गई शक्तियों के विपरीत है क्योंकि इसके अर्न्तगत पैन्षन का भुगतान नगर परिङ्घद निधि और डिपोजिट निधि से पारित नही किया जा सकता हैं। इसके अतिरिक्त नगर परिङ्घद अधिनियम 1994 के अर्न्तगत कार्यकारी अधिकारी को इन निधियों से पैन्षन भुगतान हेतु राषि आहरण करने का कोई अधिकार नही है। अतः यह एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता का मामला है और कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपनी शक्तियों का गलत उपयोग का मामला भी है जोकि निदेषक शहरी विकास विभाग के ध्यान में लाया जाता है ताकि इस सन्दर्भ में उचित कार्यवाही की जा सके। अंकेक्षण अवधि (4/2007 से 3/2010) के दौरान पैन्षन का जो भुगतान नगर परिङ्घद निधि और डिपोजिट निधि से किया गया है उसका ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

### ¼d½ uxj ifjÔn fuf/k vkj fMikftV fuf/k ls lh/k iU'ku /kkjdk dk Hkxrku dh xbZ jkf'k dk C;kjk %&

| dzekd | fnukd | pSd l[;k | jkf'k | Hkqxrku ftl fuf/k ls fd;k x;k |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6.10.2007 | 362066 | 114978.00 | नगर परिङ्घद निधि |
| 2. | 20.2.2008 | 368113 | 100000.00 | —यथोपरि— |
| 3. | 12.3.2008 | 368145 | 114978.00 | —यथोपरि— |
| 4. | 3.6.2008 | 575464 | 66287.00 | —यथोपरि— |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. | 27.2.2010 | 316927 | 215124.00 | —यथोपरि— |
| 6. | 9.6.2010 | 319561 | 143416.00 | —यथोपरि— |
| 7. | 5.8.2010 | 322913 | 129833.00 | —यथोपरि— |
| 8. | 10.6.2008 | 575464 | 20000.00 | —यथोपरि— |
| 9. | 6.8.2008 | 373139 | 85648.00 | —यथोपरि— |
| 10. | 10.7.2008 | 608293 | 71708.00 | डिपोजिट निधि |
| 11. | 9.11.2009 | 255068 | 121226.00 | —यथोपरि— |
| 12. | 2.7.2010 | 878784 | 141463.00 | —यथोपरि— |
| | | dqy ;ksx | 1324661-00 | |

¼[k½ uxj ifjÔn fuf/k vkj fMikftV fuf/k l jkf'k fudky dj iU'ku fuf/k e gLrkrfjr djd iU'ku /kkjdk dk Hkxrku dh xbl jkf'k dk C;kjk %&

| dekd | fnukd | pd l[;k | jkf'k | Hkxrku ftl fuf/k l fd;k x;k |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.2.2008 | 140408 | 86100.00 | डिपोजिट निधि |
| 2. | 22.2.2008 | 35036 | 100000.00 | नगर परिड्ढद निधि |
| 3. | 5.9.2008 | 373176 | 200000.00 | —यथोपरि— |
| 4. | 17.12.2008 | 376928 | 200000.00 | —यथोपरि— |
| 5. | 16.6.2009 | 384036 | 121226.00 | —यथोपरि— |
| 6. | 1.8.2009 | 384069 | 143416.00 | —यथोपरि— |
| 7. | 19.8.2009 | 384097 | 50000.00 | —यथोपरि— |
| 8. | 16.9.2009 | 386338 | 50000.00 | —यथोपरि— |
| 9. | 12.1.2010 | 866288 | 119853.00 | डिपोजिट निधि |
| 10. | 15.2.2010 | 89850 | 143416.00 | —यथोपरि— |
| | | dqy ;ksx | 1214011-00 | |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नगर परिड्ढद धर्मषाला, पैन्षन और उपदान निधि से अपने सेवा निर्वित कर्मचारियों के पैन्षन देनदारियों का भुगतान करने में असमर्थ है और इन देनदारियों का निपटारा अनुचित रुप से नियमों के विरुद्व नगर परिड्ढद निधि और डिपोजिट निधि से बिना निदेषक की पूर्व स्वीकृति से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नगर परिड्ढद धर्मषाला द्वारा पैन्षन और उपदान निधि के लेखों का रखरखाव अलग से नही किया जा रहा है जबकि इसके लिए अलग खाते तैयार किये जाने अपेक्षित है।

अतः यह मामला निदेषक, शहरी विकास विभाग के ध्यान में लाया जाता है ताकि सेवानिर्वित कर्मचारियों की पैन्षन की देनदारियों बारे मामला हि0 प्र0 सरकार के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु उठाया जाऐ और कार्यकारी अधिकारी, नगर परिड्ढद धर्मषाला द्वारा जो नगर परिड्ढद निधि और डिपोजिट निधि से पैन्षन का भुगतान गलत तरीके से किया जा रहा

है उसकी जांच पड़ताल करके उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए और की गई कार्यवाही से आडिट को अवगत करवाया जाए।

20- <u>uxj ifjÔn fuf/k</u> %&

<u>¼d½ okÅpj l0 23] ekg 3@2008] `163742@&</u> %&

ृ163742/– का भुगतान मै0 सुपर ब्लास्ट एंड एलाईड इन्डस्ट्रीज धर्मषाला को उनके बिल संख्या 32 दिनांक 18.2.2007 ृ6570/–, बिल संख्या 30 दिनांक 4.1.2007, ृ12093/–, बिल संख्या 28 दिनांक 30.12.2007, ृ76612/– और बिल संख्या 29 दिनांक 30.12.2007, ृ9337/– के लिए किया गया है। उपरोक्त बिलों द्वारा सामान की खरीद न्यूनतम दर वाली फर्म से कुटेषन के आधार पर की गई है। यह सामान नगर परिङ्द धर्मषाला की स्ट्रीट लाईट के लिए खरीदा गया है। अभिलेख की जांच पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिङ्द धर्मषाला द्वारा शहर की स्ट्रीट लाईट व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने पर प्रतिवर्ङ्ग लगभग ृ 4 लाख खर्च किए जाते है। उपरोक्त बिलों की जांच पड़ताल पर निम्नलिखित आपतियां दर्ज की गई है।

¼i½ उपरोक्त बिलो द्वारा खरीदे गये सामान को स्टाक रजिस्टर में दर्ज करने के उपरान्त इसकी खपत ˘तक ूपेम स्टाक रजिस्टर में दर्षाकर अन्त शेङ्ग को शून्य कर दिया जाता है जोकि उचित प्रक्रिया प्रतीत नही होती है। नियमानुसार सामान की खपत का पूरा विवरण माप–पुस्तिका में दर्ज किया जाना चाहिए और जहां–2 पर बिजली के सामान की खपत वास्तव में हुई है उसकी मात्रा सहित पूरा विवरण माप पुस्तिका में दर्ज होना चाहिए। इसके विपरीत नगर परिङ्द द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार भण्डार रजिस्टर में सामान की प्राप्ती और खपत दर्षाकर खरीदे गये समान के दूर्विनियोजन/दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाऐ।

¼ii½ जांच पड़ताल पर पाया गया कि बिजली के सामान की खरीद एवं खपत कार्यालय स्तर पर की जा रही है जबकि नगर परिङ्द धर्मषाला में सहायक अभियन्ता कार्यरत है और पूरी म्दहपदममतपदह शाखा कार्यकर रही है। अतः निर्माण कार्य के अतिरिक्त बिजली के सामान की खरीद एवं खपत का पूरा लेखा जोखा रखने के लिए सहायक अभियन्ता की देख रेख में समस्त कार्यवाही की जानी सुनिष्चित की जाए।

<u>¼[k½ okÅpj l0 40] ekg 3@2008] `3100@&</u> %&

ृ3100/– का भुगतान श्री आर0 एस0 वर्मा कार्यकारी अधिकारी नगर परिङ्द धर्मषाला को चिकित्सा प्रतिपूरक बिल के रुप में किया गया, जोकि उचित प्रतीत नही होता क्योकि यह भुगतान ँउजण च्वेंदइमद छंतंदकें तंउरप ँी ;ज्संरूसंद्ध ँवबपमजल वित त्मसपमि– त्मींइपसपजपवद व ̄जीम क्पेंइसमकए 51 टपकलंदंहंत ठींअ छंहंत ;ळनरतंजद्ध को उनकी रसीद सं0 84 दिनांक 14.9.2007, ृ3000/– +ृ100/– पंजीकरण शुल्क के रुप में किया गया है।

इस चिक्तिसालय को हि0 प्र0 सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के ईलाज के लिए नामित चिकित्सालय घोड्ढित करने सम्बन्धी अधिसूचना अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नही की गई। अतः ृ3100/– के भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाऐ अन्यथा इसकी वसूली करके नगर परिड्ढद निधि में जमा करवाई जानी सुनिष्चित की लाए। इसके यह भुगतान श्रीमति ममता वर्मा, पत्नी श्री आर0 एस0 वर्मा के लिए ली गई स्ैण्ठमसज हेतु किया गया है चिकित्सा नियमावली के अनुसार स्ैण्ठमसज देय के लिए कोई भी भुगतान देय नही है। इसके अतिरिक्त पंजिकरण शुल्क भी नियमानुसार देय नही है।

¼x½ okÅpj l0 44] ekg 3@2008] `79973@& ¾&

ृ79973/– का भुगतान मै0 सरस्वती इन्ट्प्राईजिज, शीला चौक धर्मषाला को उनके निम्नलिखित बिलों के लिए किया गया है।

| fcy l¡[;k | fnukd | jkf'k |
|---|---|---|
| 930 | 1.3.2008 | 6210 |
| 931 | 1.3.2008 | 4240 |
| 932 | 1.3.2008 | 4580 |
| 933 | 15.3.2007 | 2640 |
| 934 | 1.3.2008 | 2110 |
| 938 | 1.3.2008 | 13030 |
| 939 | 1.3.2008 | 4860 |
| 940 | 1.3.2008 | 18355 |
| 941 | 1.3.2008 | 7810 |
| 942 | 1.3.2008 | 3280 |
| 1937 | 18.12.2004 | 12858 |
| | ;kx | ` 79973 |

उपरोक्त बिलों की जांच पड़ताल पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई।

¼i½ उपरोक्त बिलों द्वारा ˘जमत ˋनचचसल थ्पसजपदह से सम्बन्धित सामान की खरीद की गई है। अंकेक्षण को चर्चा के दौरान अवगत करवाया गया कि यह सामान कुटेषनें मगंवा कर न्यूनतम दर वाली फर्म से क्रय किया गया है परन्तु अभिलेख की जांच पड़ताल पर पाया गया कि वड्ढ 2004–05 के बाद कोई भी कुटेषनें ˝जमत ˋनचचसल थ्पजजपदहश के सामान की खरीद हेतु आमंत्रित नही की गई है और सामान की खरीद वड्ढ 2004–05 में आमंत्रित कुटेषन के आधार पर ही की जा रही है, जोकि एक बहुत गम्भीर मामला है और उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है क्योंकि कुछ सामान न्यूनतम दर कुटेषन (वड्ढ 2004–05) से अधिक दरों पर खरीदा गया है और कुछ की दरे कम है। उक्त वर्णित तथ्यों में ऐसा प्रतीत होता है कि सामान की खरीद बिना कुटेषन के की गई है जिस बारे पूरी छानबीन करके वास्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाऐ तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इस

अनियमितता को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य में सामान कोटेषनों के आधार पर ही खरीदा जाए।

¼ii½ बिल सं0 1937, दिनांक 18.12.2004 का भुगतान ृ12858/–, 3 वर्ङ्ढ से ज्यादा अवधि के बाद किया गया जोकि उचित प्रतीत नही होता है। इस बिल के अर्न्तगत खरीदे गये सामान का इन्द्राज ड१ रजिस्टर में भी नही किया गया था जोकि आडिट द्वारा आपत्ति उठाने के पश्चात अंकेक्षण के दौरान किया गया। तीन वर्ङ्ढ से अधिक अवधि के दावे नियमानुसार कालातीत हो जाते है। अतः इस भुगतान को उचित ठहराने हेतु पूरी छानबीन करके वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाऐ।

¼iii½ जांच पड़ताल पर पाया गया कि सामान की खरीद उस फर्म से नही की गई है जिसने अपनी न्यूनतम दरे अंकित की थी, क्योकि न्यूनतम दरों वाली फर्म मै0 ।ण् ज्ञण् ज्तंकमतेे डीपों बाजार धर्मषाला और मै0 ।रंल भ्तकूंतम ैजवतमए ञ्चींदपतं त्वंक धर्मषाला की थी, जबकि नगर परिङ्ढद धर्मषाला द्वारा इन फर्मो से ॅजमत ैनचचसल थ्पजजपदह के सामान की खरीद न करके मै0 सरस्चती ईन्ट्प्राईजिज शीला रोड़, धर्मषाला से सामान की खरीद की, जिन्होने अपनी कुटेषन भी नही दी थी, जोकि एक गम्भीर मामला है। अतः उक्त जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए।

अतः सुझाव दिया जाता है कि जिस प्रकार बिजली के सामान की खरीद टैंडर बुलाकर न्यूनतम दर वाली फर्म से की जाती है उसी प्रकार के ॅजमत ैनचचसल थ्पजजपदह सामान की खरीद भी वर्ङ्ढ भर के लिए आंकी गई मात्रा एवं आवष्यकता अनुसार टैंडर बुलाकर की जाऐ, क्योकि नगर परिङ्ढद धर्मषाला में प्रतिवर्ङ्ढ लाखों रुपये का सामान ॅजमत ैनचचसल थ्पजजपदह की खरीद की जाती है। इसके अतिरिक्त पुरानी कुटेषनों की जांच पड़ताल से पाया गया था कि प्रत्येक मद के लिए तीन–तीन दरे (स्पहीजए डमकपनउ और भ्मंअल) आमन्त्रित की गई थी परन्तु जब सामान खरीदा गया तो बिल मे सामान की फनंसपजल अर्थात स्पहीजए डमकपनउ या भ्मंअल नही दर्षाया गया जबकि आपूर्ति कर्ता द्वारा सामान की दर भ्मंअल के हिसाब से वसूली गई जोकि उचित प्रतीत नही होता, जिनके कारण स्पष्ट किए जाए तथा इस प्रकरण मे पूरी छानबीन करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 21. okÅpj l0 51] fnukad 27-8-2008] 22523@& ¼&

ृ22523/– का भुगतान नगर परिङ्ढद निधि से चैक सं0 373165 दिनांक 27.8.2008 द्वारा जल आपूर्ति एवं जन स्वास्थय (ए – च् भ्) उपमण्डल धर्मषाला को उनके द्वारा नगर परिङ्ढद धर्मषाला को (अवधि 6/2008 से 8/2008 में) की गई पानी की आपूर्ती के लिए किया गया है। नगर परिङ्ढद धर्मषाला को ए – च् भ् विभाग, पानी की ठनसा ैनचचसल देता है और इसके उपरान्त नगर परिङ्ढद क्षेत्र में पानी का आबंटन नगर परिङ्ढद द्वारा किया जाता है। पानी के बिल संख्या 13359 दिनांक 18.8.2008 की जांच पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिङ्ढद

द्वारा ट – च्ॅ ⊬ विभाग को लगातार पानी के बिलों का पूरा भुगतान समय–2 पर किया जा रहा है, परन्तु नगर परिङ्खद धर्मषाला द्वारा ट – च्ॅ ⊬ मण्डल धर्मषाला से दिनांक 31.7.2008 तक ट – च्ॅ ⊬ विभाग के धर्मषाला शहर में स्थिति भवनो/कार्यालयों से गृहकर की बकाया ृ171135/– वसूली हेतू लम्बित थी जिसमें से ट – च्ॅ ⊬ मण्डल धर्मषाला द्वारा दिनांक 25.10.2008 को गृहकर की बकाया ृ112304/– का भुगतान नगर परिङ्खद धर्मषाला केा कर दिया है जबकि दिनांक 31.3.2010 तक ृ88647/– की बकाया राषि अभी शेङ्ख है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि या तो गृहकर की बकाया वसूली भी यथाशीघ्र की जाए अन्यथा गृहकर की बकाया ृ88647/– का समायोजन ट – च्ॅ ⊬ विभाग के पानी के बिलों सें किया जाए और गृह कर की वसूली हेतु मामला ट – च्ॅ ⊬ विभाग के उच्च अधिकारियों से उठाया जाऐ व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

22- okguk d n#i;kx ckj %&

नगर परिङ्खद धर्मषाला के वाहनों, गाड़ी संख्या भ्च्. 39;।द्ध. 2585 ;ज्ंजं ैवउवद्धए भ्च्.68. 2153 ;श्रममचद्ध भ्च् .39. 5182 ;च्ाा श्रनउचमतद्ध की लोग बुको की जांच पड़ताल पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई है जिसकी विभागीय स्तर पर जांच पड़ताल की जाऐ और सम्बन्धित कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाऐ व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाऐ।

¼i½ गाड़ी संख्या भ्च्.68.2153 जोकि माह 11/2008 मे खरीदी गई की डपसमंहम माह 12/2009 में 7.33 कि0 मी0 बताई गई है जबकि इसके पहले के महीनों की डपसमंहम लोग बुक में दर्ज नही की गई है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाऐ। दिनांक 1.5.2009 से 9.6.2009 तक कुल 835 कि0 मी0 (6427–5592) गाड़ी चलाई है परन्तु इस यात्रा को किसी भी अधिकारी द्वारा सत्यापित नही किया गया है और न ही लोगबुक में यात्रा का ब्यौरा दर्ज है। अतः चूक हेतु जिम्मेवारी तय की जाऐ और चूककर्ता से इसकी वसूली की जाऐं।

¼ii½ नगर परिङ्खद धर्मषाला के प्रत्येक वाहन की डपसमंहम को भ्च्च्ॅण्क्ण्;डमबींदपबंस ॅवतोीवचद्ध धर्मषाला कार्यालय से सत्यापित करवाया जाऐ, क्योंकि जांच पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिङ्खद धर्मषाला द्वारा अपने किसी भी वाहन की डपसमंहम को किसी भी अधिकारी से आजतक सत्यापित नही करवाया गया है जोकि एक गम्भीर मामला है।

¼iii½ गाड़ी संख्या 2585 टाटा सुमों की लोग बुक की जांच पड़ताल पर पाया गया कि कुछ यात्राऍ किसी भी अधिकारी द्वारा सत्यापित नही की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाऐ क्योकि बिना यात्रा के सत्यापन के ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी वाहन का दुरुपयोग किया जा रहा है। अतः इस बारे विभागीय स्तर पर जांच पड़ताल की जाऐ और यात्रा के उपरान्त यदि यह पाया जाऐ कि सरकारी वाहन का दुरुपयोंग किया गया है तो उसकी वसूली चालक या अन्य सम्बन्धित कर्मचारी से की जाऐ और नगर परिङ्खद निधि में जमा करवाई जाऐ।

## 23- uxj ifjÔn deZpkfj;ksa dh lsok iaftdkvksa dh tkap iM+rky djus ij ikbZ xbZ vfu;ferrk,¡%&

अभिलेख की जांच पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिङ्खद धर्मषाला द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान संषोधित वेतनमान 2006 पर वेतन देयता अनुसार किया जा रहा है, परन्तु उनका वेतन निर्धारण ब्यौरा, वेतन निर्धारण कार्यालय आदेष इत्यादि सेवा पंजिका में दर्ज नहीं किए गए हैं जोकि एक गम्भीर मामला है जिसे अंकेक्षण के दौरान कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाया गया। इसके उपरान्त कुछ कर्मचारियों का संषोधित वेतन को सेवा पंजिका में दर्ज किया और आडिट द्वारा सत्यापित भी कर दिया गया, परन्तु अभी भी सफाई कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में संषोधित वेतन निर्धारण सही तरीके से न होने के कारण सेवा पजिकाओं को सत्यापित नही किया जा सका।

इसके अतिरिक्त जांच पड़ताल पर पाया गया कि कर्मचारियों की वार्ङ्खिक वृद्वि देय होने पर नगर परिङ्खद कार्यालय द्वारा कोई कार्यालय आदेष पारित नही किए गए है और न ही नियन्त्रण अधिकारी से वार्ङ्खिक वेतन वृद्वि को सेवा पंजिका में सत्यापित करवाया जाता है। नगर परिङ्खद द्वारा वेतन निर्धारण मामलो में भी हि0 प्र0 सरकार की अधिसूचना या किसी अन्य कार्यालय आदेषों का इन्द्राज सेवा पंजिका में दर्ज नही दिया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाऐ।

अतः सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक कर्मचारी संषोधित वेतन निर्धारण से सम्बन्धित कार्यालय आदेष पारित किए जाऐ और उनका ईन्द्राज सेवा पंजिका में नियमानुसार किया जाऐ व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाऐ।

## 24- okÅpj l0 15] fnukad 1-8-2010] `44140@& %&

₹44140/– का भुगतान नगर परिङ्खद निधि से श्री नवनीत शर्मा संविदाकार को उनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई श्रण्ब्ण्ठण मषीन के किराए के रुप में किया गया। अभिलेख की जांच पर पाया गया कि श्रण्ब्ण्ठण मषीन किराए पर लेने हेतु निविदाएँ आमंत्रित की गई थी और न्यूनतम वाले संविदाकार श्री नवनीत शर्मा को ₹ 950/– प्रतिघंटा की दर से कार्य आंवटित किया गया। संविदाकार श्री नवनीत शर्मा द्वारा कार्य, श् च्तवअपकपदह श्रण्ब्ण्ठण जव `वसपक ॅंजम उंदंहमउमदज चतवरमबज जव बवअमत हंतइंहब ंदक उंम कनउचपदह चपज वित बवअमतपदह हंतइंहमण्श हेतु उपलब्ध करवाई गई श्रण्ब्ण्ठण मषीन में, मषीन के घन्टों/कार्यसमय की गणना दिनांक 16.7. 2008 को गलत ली गई, जोकि वास्तव में 2 घण्टे और 5 मिनट बनती थी जिसे गलती से 2 घण्टे और 35 मिनट लिया गया है। इस प्रकार संविदाकार को 30 मिनट के लिए ₹950/– प्रति घण्टे की दर से राषि ₹475/– का अधिक भुगतान किया गया है। अतः ₹475/– की वसूली चूककर्ता से करके नगर परिङ्खद निधि में जमा करवाना सुनिष्चित की जाऐ और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाऐ।

सहायक निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

i"Bkdu l[;k %& यू0एल0बी0एच (सी0) (15)–33/86 – भाग–ट दिनांक, षिमला–171009,

प्रतिलिपिः निम्न को प्रेषित है :–

1. निदेषक शहरी विकास, हि0प्र0 षिमला–171002 को सूचनार्थ हेतु
2. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिड्ढद धर्मषाला, जिला कांगड़ा, (हिमाचल प्रदेष) को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वे इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित पैरों पर की गई कार्यवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतषीघ्र भेंजे।
3. वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले0 व ह0), हि0प्र0 षिमला–171003

सहायक निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

¼vuqi dqekj ?kk:½